

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—915 / 2005

संस्थित दिनांक—27.12.2005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अकलदास उर्फ अकलू पिता शोभादास, उम्र 51 वर्ष,

निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखंड,

जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—09 / 10 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—10.12.2005 को समय 11:00 बजे ग्राम परसाटोला—जोगाटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मार्शल मोटर वाहन क्रमांक—एम.एच.35/ई.0051 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, वाहन को पेड़ से टकरा कर वाहन में बैठी सवारी कुमारी स्मिता को उपहति तथा मृतक मदनलाल की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—10.12.2005 को समय 11:00 बजे ग्राम परसाटोला—जोगाटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर आरोपी ने मार्शल मोटर वाहन क्रमांक—एम.एच.35/ई.0051 को उपेक्षापूर्वक व लापरवाही चलाते हुए पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठी स्मिता को साधारण उपहति कारित हुई तथा मदनलाल को प्राण घातक चोट कारित हुई। मदनलाल के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती करया गया। सूचनाकर्ता केशवदास द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट अस्पताल चौकी बालाघाट में दर्ज करायी गई। सूचनाकर्ता की उक्त रिपोर्ट पर अस्पताल चौकी बालाघाट में दुर्घटना कारित वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0/2005, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। ईजाज के दौरान आहत मदनलाल की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतक मदनलाल की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक—52/06

तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। अस्पताल तहरीर के आधार पर असल कायमी करते हुए थाना बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-167/2005, धारा-279, 337, 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-10.12.2005 को समय 11:00 बजे ग्राम परसाटोला-जोगाटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मार्शल मोटर वाहन क्रमांक-एम.एच.35/ई.0051 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठी सवारी कुमार स्मिता को उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठी सवारी मदनलाल को चोट आकर मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत स्मिता (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी तथा मृतक मदनलाल को जानती है। वह हियाराम, यशोदा, उमा को जानती है। उसके पिता केशवदास, संदीप, मनीष उसके भाई है। वह उक्त सभी के साथ मार्शल वाहन में बैठकर सुबह बालाघाट से मोहगांव आ रही थी। उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था। घटना दिन के करीब 10:00 बजे की है। वह घटना के समय सो रही थी, जिस जानकारी नहीं है कि घटना कैसे घटित हुई। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसे जानकारी न होना प्रकट किया है कि घटना के

समय राज्य परिवहन की बस को बचाते हुए आरोपी ने मार्शल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पेड़ से टकरा दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 में उक्त तथ्य लिखे जाने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह सो रही थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दुर्घटना के समय आरोपी दुर्घटना कारित मार्शल वाहन को चला रहा था, किन्तु उक्त वाहन आरोपी कैसे चला रहा था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। साक्षी ने उसे दुर्घटना में कोई चोट आने के संबंध में भी अपनी साक्ष्य में खुलासा नहीं किया है।

6— केशवदास (अ.सा.1) का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक-10.12.2005 को दिन के करीब 11:00 बजे की है। वह घटना दिनांक को मार्शल वाहन से बालाघाट से मोहगांव वापस आ रहा था। उक्त वाहन में कुल नौ लोग बैठे हुए थे। उसके अलावा उसकी पत्नि उमा, बालक संदीप व मनीष, यशोदा, मदनलाल बैठे हुए थे। गाड़ी मालिक व उनकी पत्नि भी थी। उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था। परसाटोला के पूर्व मोड़ पर करीब 11:00 बजे जैसे ही पहुंचे उसी समय मलाजखंड एस.टी.बस आ रही थी। आरोपी ने गोलाई में बचाने के लिये जैसे ही साईड लिया तो सड़क के किनारे पेड़ से मार्शल गाड़ी टकरा गई। उक्त दुर्घटना में मदनलाल को बांये भुजा और सिर पर चोट आयी थी, जिसे वह बालाघाट लेकर गया था। मदनलाल की ईलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। साक्षी का कहना है कि उक्त दुर्घटना में उसे नाम पर चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना में स्मिता को बांये भुजा पर चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना में उसके द्वारा अस्पताल चौकी बालाघाट में रिपोर्ट की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। साक्षी का यह भी कथन है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। उसकी लड़की स्मिता का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। उक्त दुर्घटना में अन्य लोगों को चोट नहीं आयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मार्शल गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर गाड़ी को पेड़ से टकरा दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मृतक मदनलाल वाहन के दरवाजे के पास हाथ निकालकर बैठा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन मार्शल, बस को बचाने के लिये निकली तो बस से मदनलाल का हाथ टकराने उसे चोट लगी थी। साक्षी ने दुर्घटना में मदनलाल की मृत्यु होना, आहत स्मिता और उसे साधारण चोट आने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, किन्तु उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से होने से इंकार किया है।

7— यशोदाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को जानती है। घटना 10 दिसम्बर की है। वह तथा उसका पति मदनलाल

बागडे वारासिवनी गया था। उनके साथ केशोराव चौधरी तथा उनकी पत्नि व बच्चे और अन्य दो लोग गये थे। दिनांक-10.12.2005 को 8:00 बजे बालाघाट से वाहन से निकले थे, जिसे आरोपी अकलदास चला रहा था, जैसे ही परसाटोला के पास पहुंचे तभी मलाजखंड की ओर से एस.टी.बस आ रही थी। आरोपी गाड़ी को धीरे चला रहा था। आरोपी ने एस.टी.बस को बचाते हुए मार्शल को पेड़ से टकरा दिया था। उसका पति मदनलाल का हाथ पेड़ से टकराने के कारण एक्सीडेंट में गेट खुलने के कारण मदनलाल नीचे गिर गया था, जिसे बालाघाट ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना में उसे कोई चोट नहीं आयी थी। वाहन में बैठी स्मिता को चोट आयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मार्शल गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर गाड़ी को पेड़ से टकरा दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पति का हाथ वाहन से बाहर होने के कारण बस से टकरा गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बस से बचाने के लिये मार्शल वाहन के चालक ने साईड लिया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह प्रकट होता है कि उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

8— उमाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को जानती है। वह मृतक मदनलाल को जानती है। मनीष, संदीप, स्मिता उसके बच्चे हैं तथा केशोराव उसका पति है। दिनांक-10.12.2005 को वह अपने पति व बच्चे तथा अन्य लोगों के साथ बालाघाट से मोहगांव जा रहे थे। परसाटोला के पास एक एस.टी. बस सामने से आ रही थी, जिसे बचाने के लिए चालक ने वाहन को पेड़ से टकरा दिया। मदनलाल का हाथ बाहर होने के कारण मार्शल वाहन से गिर गया था, जिससे मदनलाल के हाथ व सिर पर चोट आयी थी। उसी दिन मदनलाल की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उक्त दुर्घटना में स्मिता के बाएं हाथ में चोट आयी थी। दुर्घटना में उसे और उसके पति को भी चोट आयी थी, उनका डाक्टरी परीक्षण नहीं हुआ था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मार्शल गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर गाड़ी को पेड़ से टकरा दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय मदनलाल का हाथ बाहर निकला हुआ था तथा उसकी भुजा पेड़ से टकरा गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने बस से बचाने के प्रयास में मार्शल वाहन को साईड में किया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह प्रकट होता है कि उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

9— संदीप (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। दुर्घटना के समय वह सो गया था, इस कारण घटना की उसे जानकारी

नहीं है। वह मदनलाल को जानता है, जो फौत हो गया है। वह स्मिता को भी जानता है। मृतक मदनलाल और स्मिता को कैसे चोट आयी, वह नहीं जानता। दुर्घटना कैसे हुई वह नहीं जानता। उसने पुलिस कथन में भी यह नहीं बताया कि आरोपी ने मार्शल गाडी को तेज गति से चलाकर पेड़ से टकरा दिया, जिससे मदनलाल की मौत हो गई। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— मनीष (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आहत स्मिता उसकी बहन है। मृतक मदनलाल उसके चाचा थे, जो दुर्घटना में फौत हो चुके हैं। घटना पांच साल पहले की है, घटना के समय वे लोग मार्शल वाहन से बालाघाट से मोहगांव आ रहे थे। उक्त मार्शल वाहन को आरोपी चला रहा था। घटना के समय वह नींद में था, जैसे ही नींद से जागा तो देखा की गाडी पेड़ से टकराई और मदनलाल नीचे गिर गया था और स्मिता के हाथ में लगा था। बाद में मदनलाल की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि आरोपी उक्त वाहन को तेज चला रहा था या नहीं, वह नहीं जानता तथा किसकी गलती से दुर्घटना हुई वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है।

11— हियाराम (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह मार्शल गाडी में उसकी पत्नि व अन्य लोगों के साथ मोहगांव जा रहा था। रास्ते में राज्य परिवहन की बस को साईड लेने के कारण मार्शल वाहन पेड़ से टकरा गया। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मार्शल गाडी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर गाडी को पेड़ से टकरा दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना सामने से राज्य परिवहन की बस तेज रफ्तार से आने के कारण हुई थी।

12— रामकुमारी (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना के समय वह मार्शल वाहन में अन्य लोगों के साथ बैठकर मोहगांव आ रही थी तो मार्शल वाहन सामने से आती हुई बस को बचाने के लिये पेड़ से टकरा गया था, जिससे उसके सीने में चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना में मार्शल गाडी में बैठे मदनलाल की मृत्यु हो गई थी तथा स्मिता को भी चोट आयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मार्शल गाडी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर गाडी को पेड़ से टकरा दिया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना सामने से राज्य परिवहन की बस तेज रफ्तार से आने के कारण हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

13— गेंदलाल (अ.सा.9) एवं मनकुलाल (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में

कथन किये हैं कि वे आरोपी को नहीं जानते। पुलिस ने उनके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया। साक्षीगण ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-6 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये थे, जिसे उन्होंने पढ़कर नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षीगण ने पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

14— डॉक्टर अशोक लिल्हारे (अ.सा.11) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सक के पद पर होते हुए पुलिस द्वारा पेश करने पर मदनलाल की चोटों का परीक्षण किया था और उसे मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर दिनेश मेश्राम अ.सा.12 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर होते हुए पुलिस के द्वारा पेश करने पर मृतक मदनलाल के शव का परीक्षण किया था। मृतक मदनलाल के शरीर में हड्डी व मांसपेशियाँ जगह-जगह टूटी होने एवं अत्यधिक रक्त स्राव होने से उसकी मृत्यु होना पाया गया था। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षीगण ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के पश्चात् मृतक मदनलाल को शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में घायल अवस्था में भर्ती किया गया था, जिसकी पश्चात् में मृत्यु हो गई थी तथा उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।

15— राजु (अ.सा.13) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने किसी वाहन का परीक्षण नहीं किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों के कहने पर मैकेनिकल परीक्षण प्रदर्श पी-10 पर हस्ताक्षर कर दिया था।

16— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.14) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.12.2005 में थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-167/2005, धारा-279, 337, 304 भा.द.वि. की डायरी विवेचना में प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 प्रधान आरक्षक श्याम प्रकाश गायधने ने लेख किया था, और उसी के द्वारा मार्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी-12 भी लेख की गई थी, जिन पर प्रधान आरक्षक श्याम प्रकाश के हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान दिनांक-20.12.2005 को रामकुमारी, हियाराम, मनीष, संदीप, केशोराम, उमा, स्मिता एवं दिनांक-25.12.2005 को यशोदा बाई के कथन लेख किया था। उसने दिनांक-20.12.2005 को घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था एवं उसी दिनांक को आहत स्मिता की चोटों का परीक्षण करवाया

और आरोपी से मार्शल वाहन क्रमांक-एम.एच.35/ई.0051 को मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था। जप्तशुदा वाहन कंडेक्टर साईड से पिचका हुआ था, जिसका मैकेनिकल परीक्षण करवाया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने समर्थनकारी साक्षी के रूप में अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

17- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी दुर्घटना कारित वाहन मार्शल को चला रहा था और सामने से आहत हुई बस से साईड लेते हुए उक्त मार्शल वाहन पेड़ से टकरा गया, जिस कारण मृतक मदनलाल की मृत्यु हुई तथा आहत स्मिता को साधारण चोट कारित हुई। प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त घटना के समय आरोपी ने सामने से आ रही बस से मार्शल वाहन की टक्कर होने से बचाने के लिये वाहन को साईड में लिया, जिससे मार्शल वाहन पेड़ से टकराया तथा उस समय मृतक मदनलाल वाहन हाथ बाहर किये हुये था, जिस कारण उसे प्राण घातक चोट कारित हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने आरोपी के द्वारा घटना के समय मार्शल वाहन को धीमी गति से चलाये जाने और सामने वाली बस तेज गति से आने व बड़ी दुर्घटना टालने के आशय से वाहन को साईड में लेने के तथ्य अपनी साक्ष्य में पेश किये हैं। इसके अलावा सभी साक्षीगण ने एकमत से घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के तथ्य से इंकार करते हुए यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। ऐसी दशा में मात्र दुर्घटना कारित मार्शल वाहन को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के तथ्य के आधार पर आरोपी को कथित वाहन उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने एवं उक्त आधार पर मृतक मदनलाल की मृत्यु कारित किये जाने तथा आहत स्मिता को उपहति कारित करने के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

18- उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर मार्शल मोटर वाहन क्रमांक-एम.एच.35/ई.0051 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, वाहन को पेड़ से टकरा कर वाहन में बैठी सवारी कुमारी स्मिता को उपहति तथा मृतक मदनलाल की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 304(ए) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- 20— प्रकरण में जप्तशुदा मार्शल मोटर वाहन क्रमांक—एम.एच.35/ई.0051 मय दस्तावेज के हियाराम वल्द सीतामरा, निवासी मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट